

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अत्रल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विभागाध्यक्ष (डी.डी.)

विभागाध्यक्ष (डी.डी.)

2. वर्तमान धारित पद विभागाध्यक्ष (डी.डी.)

3. वर्तमान वेतन 30000/- आरती वेतनवृद्धि की तारीख 10 July 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित को गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	रुपति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आबनोर जिला-स्थाप. गृह	-	-	2000000/-	भेरी भाराजी के नाम पर है	विरासत	-	
—  —	जिनिंग पेंडिंग	-	1500000/-	भेरी भाराजी	विरासत	-	

11/11/10

जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में तपामा मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पचास यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और स्वयं एक तनके स्वामित्व की तथा उसके जात अर्जित अथवा उसे विरासत में मिलने या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर

हस्ताक्षर [Signature]  
 नाम विभागाध्यक्ष  
 पद विभागाध्यक्ष (डी.डी.)

738  
0670



फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अत्रल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक अवारिया 2. वर्तमान धारित पद ट्यारव्याता (आय.डी.)

3. वर्तमान वेतन 21.5-28 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विपसत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	स-ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
X	X	X	X	X	X	X	

अशोक  
अवारिया

हस्ताक्षर अशोक अवारिया  
 नाम अशोक अवारिया  
 पद ट्यारव्याता (आय.डी.)  
 श्री. पॉलिटेक्निक महा. रवरागोन (म.प्र.)

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महिने की अवधि के परवान पर घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और तबसे वह उनके स्वामित्व की तथा उसके नाम अर्जित अथवा उसे किससे-किससे मिली या उपान्त करने वाले परिसर के किसी कारण से नाम

शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय  
 खरगोन (म.प्र.)  
 आचार्य अनाप 7/7  
5-5-2010



फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अञ्चल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **कु. उषा वर्मा** (सेक्रेटरी) (एम.ओ.एम.)  
 2. वर्तमान धारित पद **उपाध्यायाता**

3. वर्तमान वेतन **१००००** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **१३.११.१३**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो.	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सन्धि से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

*(Handwritten signature)*

जहां लागू न हो काट दोबारा।  
 \* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार भर्ती के आदि के पत्रों पर यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और तममें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके सम्बन्ध में प्राप्त या प्राप्त होने के किसी प्रकार के नगद हस्ताक्षर *(Signature)*  
 नाम **कु. उषा वर्मा**  
 पद **उपाध्यायाता (सेक्रेटरी) (एम.ओ.एम.)**

आयुक्त (प.प्र.)  
 आयुक्त प्रान्तिक **726**  
 दिनांक **06-5-010**

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अञ्चल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विभागीय क्षेत्रीय स्तर पर ..... 2. वर्तमान धारित पद व्याख्याता (गति)

3. वर्तमान वेतन 21,528 ..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख X .....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरी		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टे, बंधक, विपणन, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और बिस्से अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	रूप से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1) विवेकानंद कॉम्प्लेनी प्लॉट- बड़वाट पिप्रा - खरगोन (मण्डल) जयपुर	(2) भावास गृह	(3) X	(4) 12,000.00	(5) पिता-श्री परमानंद शीवास्वत के नाम पर है।	(6) श्री परमानंद शीवास्वत द्वारा सन 2002 में स्वयं श्री राघोबामणी शारदा से खरीदा गया प्लॉट और घर बनाया गया।	(7) X	(8) X

हस्ताक्षर 20.05.05.10  
 नाम विकास शिवराज  
 पद व्याख्याता (गति)  
 ज्यो पॉजिटिविनेक सह विशाल म् खरगोन

जहां लागू न हो काट दोबिर।  
 \* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और तममें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विभागत में मिली का बचने-पाने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय  
 खरगोन (म.प्र.)  
 आचार्य कार्यालय 725  
 दिनांक 06-5-010

शासकीय महिला वित्तियोगिकी प्रविधायक  
 आयकर कर्मचारी  
 760  
 दिनांक 5-5-2010  
 आधिकारिक कर्मचारी का (पूर)

**फार्म**

\*प्रथम नियुक्ति के समय अज्ञात सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : मनीष पुरखाना 2. वर्तमान धारित पद : लेक्चरर (ई.टी.ई.)

3. वर्तमान वेतन : 8,000/- 2,25,00/- 1,35,00/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख : .....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे	रूपति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
—	—	—	—	<u>निरंक</u>	—	—	—

मनीष  
5/5/10

जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महिने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भा कर प्रस्तुत करें और तबमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके जाग अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

हस्ताक्षर : M. Pravalan  
 नाम : मनीष पुरखाना  
 पद : (ई.टी.ई.)

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अत्रल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विजयासिंह चौगडा 2. वर्तमान धारित पद व्यारखाना (E.T.E)

3. वर्तमान वेतन 21528/- आलो वेतनवृद्धि की तारीख Nil

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो.	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विपसत, पेट या अन्य किसी प्रकार से तथा कर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	रुपति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1) <u>Nil</u>	(2) <u>Nil</u>	(3) <u>Nil</u>	(4) <u>—</u>	(5) <u>Nil</u>	(6) <u>Nil</u>	(7) <u>Nil</u>	(8) <u>Nil</u>

आल  
Dr. 6/5/16

इत्तावर सि  
नाम विजयासिंह चौगडा  
पद व्यारखाना (E.T.E)

जहां लागू न हो कट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार-पहिले की अवधि के प्रचार यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और तममें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके जमा अर्जित अथवा उसे विभागत में मिलने का प्रमाण पत्र भर कर उनके परिबार के किसी सदस्य के नाम

संख्या (अ. व.)  
734  
06-5-0/0  
 दिनांक